	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 21, 2020 *Sravana 30 , Friday, Saka 1942–August 21, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 04, 2020

जी.एस.आर. 199 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम**,** 1970 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 से संलग्न अनुसूची-I में,-

(I) शीर्ष ग्रुप-क के अधीन,-

(i) मद ख में, क्रम संख्यांक **4** के सामने स्तंभ संख्यांक **4** में**,** विद्यमान अंतिम प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।

स्पष्टीकरणः अभ्यर्थी द्वारा धारित कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

(ii) मद ख में, क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में,-

(क) अंतिम प्रविष्टि में, विद्यमान परन्तुक से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.):" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) इस प्रकार संशोधित अंतिम प्रविष्टि के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।

स्पष्टीकरणः अभ्यर्थी द्वारा धारित कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:"

(II) शीर्ष ग्रुप-ग के अधीन, मद ख में, क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में, विद्यमान अंतिम प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।

स्पष्टीकरणः अभ्यर्थी द्वारा धारित कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

जी[सं.एफ.3(1)डीओपी/ए-II/2013 पार्ट II]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, August 4, 2020

G.S.R. 199 :-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Secretariat Ministerial Service (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970,-

(I) under the heading Group-A,-

(i) in item B, in column number 4 against serial number 4, after the existing last entry, the following shall be added, namely:-

"or

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.

Explanation: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final."

(ii) in item B, in column number 6 against serial number 4,-

(a) in last entry, before the existing proviso, for the existing expression "Rajasthan Knowledge Corporation Limited:", the expression "Rajasthan Knowledge Corporation Limited." shall be substituted.

(b) after the last entry, so amended and before the existing proviso, the following shall be inserted, namely:-

"or

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.

Explanation: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final:"

(II) under the heading Group-C, in item B, in column number 4 against serial number 3, after the existing last entry, the following shall be added, namely:-

"or

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.

Explanation: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final."

[No. F.3(1)DOP/A-II/2013 Part II]

By order and in the name of the governor,

JAI SINGH

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT

Government Central Press, Jaipur.